उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या–259/xxvii(6)/2011
देहरादूनः दिनांकः 05 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्याः 235/21/वि0अनु0–1/2001 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2001 के अनुपालन में प्रपत्र–2 पर कार्मिकों की अनुपस्थिति विषयक सूचना सम्बन्धित कोषागारों को उत्तरदायी रूप से नहीं भेजी जा रही हैं। साथ ही नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर इसका प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा हैं। इस विषय पर शासनादेश संख्याः 212/वि0अनु0–4/2004 दिनांकः 09 जुलाई, 2004 के प्रस्तर–3 में व्यवस्था दी गई है कि "कार्यालयाध्यक्ष/विभागीय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रति माह वेतन अथवा तत्सम्बन्धी भत्ते में होने वाले परिवर्तन तथा उपस्थिति आदि की सूचना नियमित रूप से कोषागारों को प्रेषित की जाये। यदि सूचना में कोई परिवर्तन न हो तब भी "शून्य" सूचना समय से कोषागार को अवश्य प्रेषित की जाये। यदि दो माह तक आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शून्य सूचना भी नहीं भेजी जाती है तब ऐसे प्रकरण में कोषागार तब तक भुगतान रोक देंगे जब तक सूचना न प्राप्त हो जाए।"

सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी भी कार्मिक को वेतन तभी देय होता है जब उसके द्वारा राजकीय कार्य सम्पादित किया जाता है। दूसरे अर्थों में "नो वर्क नो पे सिद्धान्त" सभी राजकीय कार्मिकों पर लागू होता है। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन आहरण हेतु कोषागारों को प्रपत्र–2 पर कार्मिकों की अनुपस्थिति/उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्मिक वास्तव में कार्यालय में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया है। भविष्य में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को प्रपत्र–2 में इस आशय की प्रतिमाह सूचना भेजनी अनिवार्य होगी। गलत सूचना देने के कारण जो अधिक भुगतान होगा उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे। सूचना न भेजने की स्थिति में कोषागार भुगतान रोक देगा। नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर कार्मिकों की उपस्थिति का लगातार पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पत्र संख्याः–259/xxvii(6)/2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
5. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,